

# कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति (7 दिसंबर 2021 से प्रभावी)



## अनुक्रम

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं
1.	पृष्ठभूमि	1
2.	उद्देश्य	1
3.	मार्गदर्शी सिद्धांत	1
4.	कार्यक्षेत्र	1
5.	दृष्टिकोण	2
6.	सीएसआर योजना एवं संस्थागत ढांचा	3
7.	सीएसआर कार्यान्वयन, निगरानी एवं प्रभाव मूल्यांकन	4
8.	रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण	5





## 1. पृष्ठभूमि

आरईसी द्वारा अपने कारोबार को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगम के रूप में, अपनी व्यावसायिक नीतियों एवं प्रथाओं को समग्र सामाजिक प्रगति, मानव जाति के विकास, पर्यावरण एवं उसके जीवों के सम्मान के अनुरूप संचालित किया जाता है। कंपनी की सीएसआर नीति, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 एवं कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन विनियमावली, 2021 तथा भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत तैयार की गई है।

### 1.1 दृष्टि

प्रकृति के संरक्षण सहित राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना।

### 1.2 मिशन

लोगों के जीवन में एक स्पष्ट सकारात्मक बदलाव और प्रभाव लाने के लिए संसाधनों का दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से उपयोग करना।

## 2. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य है;

- सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा दिखाई जा रही दिशा एवं दृष्टिकोण के अनुरूप काम करना।
- गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का दस्तावेजीकरण करना।
- केंद्रित, निगरानीकृत एवं प्रभावोन्मुख सामाजिक गतिविधियों के लिए परिभाषित प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों के माध्यम से सामाजिक रूप से जिम्मेदार क्रिया-कलापों को एकीकृत करना, कार्यान्वित करना एवं बढ़ावा देना।

## 3. मार्गदर्शी सिद्धान्त

सीएसआर गतिविधियों के डिजाइन, चयन एवं कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त मार्गदर्शी होंगे:

### (i) दक्ष, प्रभावी एवं प्रभावपूर्ण

सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रमों द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए वांछित लाभ उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा और लक्षित लाभार्थियों पर वांछित प्रभाव डाला जाएगा।

### (ii) परिणामोन्मुख

सीएसआर गतिविधियां परिणामोन्मुखी होनी चाहिए ये सिर्फ गतिविधि केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इनके परिणाम बोधगम्य एवं स्पष्ट होंगे।

### (iii) अति आवश्यक जरूरतों को पूरा करने वाले सतत लाभ

समाज की समसामयिक जरूरतों को पूरा करते हुए सीएसआर गतिविधियों के दीर्घकालिक लाभ होंगे।

### (iv) पारदर्शी, मापने योग्य, बोधगम्य एवं स्थायी लाभ

सीएसआर गतिविधियों को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा, जिसके मापने योग्य, स्पष्ट, सतत एवं व्यापक लाभ होंगे।

## 4. कार्यक्षेत्र

### 4.1

आरईसी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों को पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा। जबकि क्रियान्वित गतिविधियां कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII से संबंधित होनी चाहिए, प्रविष्टियों की व्याख्या भली-भांति की जानी चाहिए ताकि उक्त अनुसूची में वर्णित विषयों की मूल भावना के अनुसार कार्य किया जा सके। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना;
- विशेष शिक्षा और रोजगार को बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों पर विशेष रूप से ध्यान देना तथा आजीविकावर्धक परियोजनाएं;
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए आवास और छात्रावासों की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के समक्ष आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय;
- पर्यावरणीय स्थायित्व, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना;
- इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कलात्मक कार्यों के संरक्षण सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापनाय पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रोत्साहन और विकास;
- सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके



आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों (सीपीएमएफ) के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों सहित उनके आश्रितों के लिए लाभ के उपायय

- (vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;
- (viii) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड), या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान;
- (ix) (क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए योगदान; तथा  
(ख) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयोंय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और स्वायत्त निकायय जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); फार्मास्यूटिकल्स विभागय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधानरत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को योगदान;
- (x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं
- (xi) स्लम (मलिन बस्तियों) क्षेत्रों का विकास
- (xii) राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।
- (xiii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार/किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी अधिनियम/दिशानिर्देशों के तहत किसी भी अन्य क्रिया-कालाप की अनुमति होगी, जैसा भी समय-समय पर संशोधित किया जाए।

**4.2** सीएसआर फंड को पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च किया जा सकता है, जो कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 के नियम 4 के अनुसार किया जाएगा।

#### 4.3

#### शामिल न की गई गतिविधियां

सीएसआर क्रिया-कलापों में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाएगा:

- कारोबार के सामान्य क्रिया-कलापों के अनुसरण में की जाने वाली गतिविधियाँ।
- ऐसी गतिविधियाँ जो सिर्फ कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाती हों, जैसा कि वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (के) में परिभाषित है।
- राष्ट्रीय स्तर पर या भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण को छोड़कर भारत के बाहर की गई गतिविधियां;
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान देना।
- अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने के लिए स्पांसर के आधार पर कंपनियों द्वारा समर्थित गतिविधियाँ। मैराथन/पुरस्कार/धर्मार्थयोगदान/विज्ञापन/टीवी कार्यक्रमों की स्पांसरशिप आदि जैसे एकबारगी होने वाले कामों को सीएसआर व्यय के भाग के रूप में योग्य नहीं माना जाएगा।
- भारत में लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी अन्य वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए की गई गतिविधियां;
- सीएसआर के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां

#### 4.4

आरईसी सीएसआर के तहत निम्नलिखित गतिविधियों को करने के काम से स्वयं को दूर रखेगा:

- धार्मिक गतिविधियां जैसे मंदिर/मस्जिद आदि का निर्माण।
- किसी भी तरह से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली गतिविधियाँ।

#### 4.5

इस नीति द्वारा कवर नहीं किए गए किसी भी बिंदु की व्याख्या कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

#### 5.

#### दृष्टिकोण

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता के प्रति कंपनी का दृष्टिकोण निम्नानुसार होगा:

#### 5.1

#### परियोजना/कार्यक्रमों की भौगोलिक स्थिति

अपने कारोबार की प्रकृति में आरईसी पूरे भारत में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है और इसके कार्यालय रणनीतिक रूप से सभी प्रमुख राज्यों के मुख्यालयों में स्थित हैं। इसलिए, देश के अंदर किसी भी स्थान पर सीएसआर गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं।





ऐसा करते समय आरईसी पिछड़े क्षेत्रों/आकांक्षी जिलों (जैसा कि नीति आयोग द्वारा अधिसूचित है) पर बल देते हुए सभी भौगोलिक स्थानों पर समान योगदान देने का यथासंभव प्रयास करेगा।

## 5.2 राष्ट्रीय विकास के एजेंडे को प्राथमिकता (सतत विकास के लक्ष्यों के साथ संरेखित)

अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों से सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का चयन करते समय, आरईसी उन विषयों को प्राथमिकता देगा जो राष्ट्रीय विकास एजेंडे/एसडीजी में सबसे महत्वपूर्ण हैं। आरईसी की सीएसआर नीति का मुख्य ध्यान सतत विकास और समावेशी विकास पर होगा और समाज के वंचितों, वंचित वर्गों, हाशिये के लोगों और उपेक्षित तथा कमजोर वर्ग के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर होगा जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवार, वृद्ध और वृद्ध, महिला/बालिका, शारीरिक रूप से विकलांग, आदि शामिल हैं।

## 5.3 ध्यानबिन्दु

सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए, गतिविधियों का चयन करते समय, केवल उत्पादन या परिणामों के बजाय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जहाँ तक संभव होगा, अस्थायी प्रकार की गतिविधियों से बचना होगा।

## 6. सीएसआर योजना और संस्थागत ढांचा

### 6.1. सीएसआर योजना

6.1.1 आरईसी द्वारा बजटीय प्रावधानों के अंदर प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक योजना तैयार की जाएगी, जिसे, जैसा भी मामला होगा, अनुमोदन के लिए आरईसी के निदेशक मण्डल के समक्ष रखा जाएगा,।

6.1.2 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार और बोर्ड के अनुमोदन (सीएसआर समिति की अनुशंसा पर) के अनुसार सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर हेतु प्रति वर्ष पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कुल वार्षिक बजट आवंटन निर्धारित किया जाएगा।

6.1.3 आरईसी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

### 6.2 संस्थागत ढांचा

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, संस्थागत ढांचा निम्नानुसार होगा:

6.2.1 सीएसआर के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु

बोर्ड स्तर से कम से कम और सिर्फ एक रैंक नीचे के अधिकारी को नामित किया जाएगा। नामित नोडल अधिकारी, सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सीएसआर के लिए बोर्ड स्तर की समिति और/या आरईसी के निदेशक मंडल को उसकी सूचना, विचार, आवश्यक हस्तक्षेप/सुझाव और निर्णय लेने के लिए समय-समय पर सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6.2.2 सीएसआर परियोजना/प्रस्तावों की जांच और अनुशंसा के लिए द्वि-स्तरीय संगठनात्मक ढांचा तैनात किया जाएगा

क) समय-समय पर प्राप्त विभिन्न सीएसआर परियोजना प्रस्तावों, जैसा भी मामला हो, की जांच और सिफारिश के लिए वरिष्ठ जीएम और जीएम स्तर के अधिकारियों की स्क्रीनिंग समिति

ख) वित्तीय सहमति के अधीन, बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के अनुमोदन हेतु, सीएसआर के अंतर्गत वित्तीय सहायता की संस्वीकृति की अनुशंसा हेतु, बोर्ड स्तर से कम और सिर्फ एक रैंक नीचे के अधिकारी के अधीन आरईसीए फाउंडेशन का शासी निकाय या समिति।

6.2.3 **सीएसआर समिति** : बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति ('सीएसआर समिति') सीएसआर के तहत खर्च की जाने वाली राशि की अनुशंसा करेगी और एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी जिसमें अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची, निष्पादन का तरीका, निधियों के उपयोग के तौर-तरीके और कार्यान्वयन कार्यक्रम, निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र तथा आवश्यकता एवं प्रभाव मूल्यांकन का विवरण होगा। हालांकि, बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी सीएसआर समिति की अनुशंसा के अनुसार, उस प्रभाव के उचित औचित्य के आधार पर ऐसी कार्य योजना में बदलाव कर सकता है। इसके अलावा, सीएसआर समिति की भूमिकाएं और दायित्व, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित और उसमें वर्णित प्रावधानों के अनुसार होंगे।

6.2.4 **निदेशक मंडल** : सीएसआर गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन में अंतिम निर्णय आरईसी के निदेशक मंडल का होगा। निदेशक मंडल, इस सीएसआर नीति के अंतर्गत प्रस्तावों के वित्तपोषण को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित करने, आवश्यक होने पर नई योजनाएं तैयार करनेय बजट की व्यापक श्रेणियों पर निर्णय लेने और कंपनी की सीएसआर पहलों को लागू करने के लिए आवश्यक कोई भी कार्रवाई करने के लिए आरईसी के सीएमडी को अधिकृत कर सकता है। ऐसे प्रस्तावों का विवरण बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति और समय-समय पर उनकी समीक्षा/सत्यापन और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं और कार्यक्रमों का बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा, इनकी प्रगति की निगरानी की जाएगी और इस बात का संज्ञान लिया

जाएगा कि संवितरित धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है। बोर्ड की भूमिकाएं और दायित्व कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार होंगी।

## 7. सीएसआर कार्यान्वयन, निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन

### 7.1 कार्यान्वयन, निगरानी और प्रभाव आकलन तंत्र

#### 7.1.1 कार्यान्वयन:

7.1.1.1 बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसआर गतिविधियां आरईसी द्वारा या निम्न के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं—

क) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, अथवा एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 ए और 80 जी के तहत पंजीकृत, अकेले अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ स्थापित कंपनी।

ख) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित

ग) संसद या राज्य की विधायिका के अधिनियम के तहत स्थापित कोई भी संस्थाय या

घ) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए और 80 जी के तहत पंजीकृत है, और उसे समान प्रकार की गतिविधियों को करने में कम से कम तीन साल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है।

उपरोक्त सभी अपना सीएसआर पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करेंगे जिसमें सीएसआर 1 को जमा करने के बाद मिली यूनीक सीएसआर पंजीकरण संख्या होगी। हालांकि, अप्रैल 2021 के पहले दिन से पूर्व अनुमोदित गतिविधियों के लिए, सीएसआर 1 फॉर्म जमा करना अनिवार्य नहीं होगा।

7.1.1.2 उपरोक्त 7.1.1.1 के प्रावधानों के अलावा, अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी देना होगा और दस्तावेज जमा करने होंगे (सिर्फ गैर-सरकारी संगठनों के मामले में):

(i) संस्था पिछले तीन (03) वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के साथ—साथ उन तीन वर्षों के लिए इसी प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए प्राप्त निधियों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी।

(ii) इसी प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए पिछले तीन वर्षों का औसत कारोबार, परियोजना की प्रस्तावित लागत का कम से कम दोगुना होना चाहिए।

(टिप्पणी: टर्नओवर का तात्पर्य है पिछले तीन वर्षों में इसी तरह की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कुल धन की प्राप्ति।)

(iii) संस्था को एक प्रतिष्ठित/मान्यता प्राप्त/मान्यता प्राप्त ग्रेडिंग एजेंसी द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा, जो क्रिसिल, केयर और आरईआरआर हो सकती है। उन्हें सहायता देने पर तभी विचार किया जाएगा जब उन्हें सर्वोच्च ग्रेडिंग से कम से कम दो पायदान नीचे की ग्रेडिंग या सर्वश्रेष्ठ ग्रेडिंग मिली होगी अर्थात ग्रेडिंग शीर्ष तीन श्रेणियों के अंदर होनी चाहिए। प्रस्ताव भेजते समय ग्रेडिंग 2 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

(vi) आरईसी एक समय में केवल एक परियोजना को मंजूरी देगा, जहां पिछले तीन वर्षों का कुल औसत कारोबार ₹15.00 करोड़ से कम होगा और पहली परियोजना के पूरा होने तथा 100% निधि जारी होने के बाद ही दूसरी परियोजना पर विचार किया जाएगा। एजेंसी का पिछले तीन वर्षों का औसत कारोबार, ₹15.00 करोड़ से अधिक होने पर, एक समय में अधिकतम दो परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

7.1.1.3 सीएसआर गतिविधियों के लिए परियोजनाओं या कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु, आरईसी अन्य कंपनियों के साथ सहयोग कर सकता है ताकि साथ काम करने का लाभ इस तरह से हो कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समिति इस नीति के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से सूचना देने की स्थिति में हो।

7.1.1.4 सामान्यतः, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रिया—कलाप के अंतर्गत सभी गतिविधियों को, आरईसी द्वारा आरईसी फाउंडेशन सहित जैसा कि खंड 7.1.1.1 में निर्दिष्ट है, एजेंसियों के सहयोग से किया जाएगा।

7.1.1.5 खंड 7.1.1.1 में निर्दिष्ट विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सीएसआर से धन प्राप्त करने की इच्छुक पात्र एजेंसियां, वेबसाइट पर उपलब्ध चेकलिस्ट के अनुसार, अपना विस्तृत प्रस्ताव आरईसी के सीएमडी को भेज सकती हैं। आरईसी द्वारा अपनी सीएसआर नीति के अनुपालन, बजट की उपलब्धता, एजेंसी की सम्यक जांच परख, वित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन, चालू परियोजनाओं के लिए निधि की आवश्यकता आदि के बाद ही परियोजनाओं के वित्तपोषण पर विचार किया जाएगा।

7.1.1.6 आरईसी विभिन्न हितधारकों के इनपुट के माध्यम से समाज की जरूरतों पर विचार करने के लिए सामाजिक संवाद में निरंतर शामिल रहेगा।



#### 7.1.1.7 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के तरीके:

- (i) प्रोजेक्ट मोड: बाह्य हितधारकों के लिए चिन्हित सीएसआर गतिविधियों को एक प्रोजेक्ट मोड में क्रियान्वित किया जा सकता है, जिसमें पूर्व-अनुमानित संसाधनों की मात्रा के साथ, और आवंटित बजट और निर्धारित समय-सीमा के अंदर नियोजित प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पादन के चरणों को अग्रिम रूप से निरूपित करना होगा। इसमें नामित अधिकारियों/बाहरी विशिष्ट एजेंसियों, जिन्हें कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है, की स्पष्ट जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना भी शामिल होगा।
- (ii) डायरेक्ट मोड: आरईसी अपनी जनशक्ति और संसाधनों के साथ सीएसआर क्रिया-कलापों का कार्यान्वयन कर सकता है या ऐसी परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए किसी बाहरी विशेष एजेंसी को लगा सकता है और आंतरिक जनशक्ति और/या बाहरी इसकी एजेंसी द्वारा निगरानी की जा सकती है।
- (iii) सहयोग: आरईसी अन्य सीपीएसई/सरकारी एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अपने संसाधनों को लगा सकता है ताकि परियोजनाओं का, उनके आकार और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में उनके आकार और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में अधिक से अधिक सामाजिक प्रभाव हेतु दीर्घकालिक मेगा परियोजनाओं के लिए प्रत्येक भाग लेने वाली इकाई के संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा सके और पिछड़े क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में विकास की गति को भी तेज किया जा सके।

#### 7.1.2 निगरानी:

आरईसी द्वारा वित्त पोषित सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक संस्थाओं द्वारा की जा सकती है:

- (i) विभिन्न राज्यों में स्थित आरईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य कार्यालयों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए, या/और,
- (ii) कॉर्पोरेट कार्यालय के अधिकारी, या/और,
- (iii) परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी)/परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी)/संबंधित परियोजना के कार्यान्वयन प्रगति/निगरानी के लिए अधिसूचित किसी अन्य समिति के सदस्य, जिसमें आरईसी से कम से कम एक नामित प्रतिनिधि शामिल हो, या/और,
- (iv) एक परियोजना प्रबंधन/निगरानी एजेंसी (पीएमए) को आरईसी द्वारा विशेष रूप से आरईसी की ओर से चुनिंदा परियोजनाओं के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें

आरईसी के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है।

सीएसआर परियोजनाओं को लागू करने वाली एजेंसी को कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में अक्षांश और देशांतर (जियो टैग) के साथ परियोजना की प्रगति की तस्वीरें प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा अनुमोदित समय-सीमा और वर्षवार आवंटन के संदर्भ में चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी और बोर्ड, समग्र अनुमत समय-सीमा के अंदर सुचारू कार्यान्वयन के लिए संशोधन करने में सक्षम होगा।

#### 7.1.3 प्रभाव मूल्यांकन:

- (i) आरईसी एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से, एक करोड़ रुपये या इससे अधिक के परिव्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन करेगा, ये परियोजनाएँ प्रभाव का अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरा कर ली गई हों। प्रभाव मूल्यांकन की रिपोर्ट को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और इसे सीएसआर संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।
- (ii) आरईसी उस वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व हेतु प्रभाव मूल्यांकन पर होने वाले व्यय को आरक्षित कर सकता है, जो उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

## 8. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी जिसमें कंपनी के अनुबंध II (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 में निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे। बोर्ड द्वारा, सार्वजनिक उपयोग के लिए, वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और इसके द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड के समक्ष रखी गई प्रभाव मूल्यांकन की रिपोर्ट को सीएसआर संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सीएसआर क्रिया-कलापों के बारे में, हितधारकों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण, कारोबार दायित्व की रिपोर्टिंग और एकीकृत रिपोर्ट शामिल होगी। इसके अतिरिक्त, आरईसी द्वारा अपनी वेबसाइट <https://www.recindia.nic.in> के माध्यम से सीएसआर क्रिया-कलापों के बारे में सूचित किया जाता है।



**आरईसी लिमिटेड** (भारत सरकार का उद्यम)  
(पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड)

कॉरपोरेट कार्यालय

प्लॉट नं. आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, वेबसाइट: [www.recindia.com](http://www.recindia.com)



reclindia



reclindia



reclindia



reclindia



REC Limited